

इस पॉलिसी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द/शब्दों की परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं:

- आयु** पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्म दिवस पर उसकी आयु है। लेकिन 8 वर्ष की आयु के लिए यह पूर्ण वार्षिक वर्ष में होगी।
- नियुक्त** वह व्यक्ति है जिसको, पॉलिसी के अंतर्गत सुनिश्चित प्राप्ति/हितलाभ का भुगतान देय है, यदि हितलाभ नामांकित व्यक्ति को देय है और दावे की भुगतान तारीख पर वह नाबालिग है।
- वार्षिकीकृत प्रीमियम** बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई बीमा प्रीमियम होगी और उसमें कोई कर, बीमालेखन निर्णय के कारण लिए जाने वाली अतिरिक्त राशि, अनुवृद्धि प्रीमियम और प्रीमियम भुगतान प्रणाली के लिए लोडिंग यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- समनुदेशिनी** वह व्यक्ति है जिसे एक समनुदेशन के आधार पर अधिकार और हितलाभ हस्तांतरित किए गए हैं।
- समनुदेशन** किसी "समनुदेशिनी" को अधिकार और हितलाभों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। समनुदेशन, समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।
- मूल पॉलिसी**, पॉलिसी का वह भाग है, जिसमें मूल हितलाभों का उल्लेख किया गया है (यदि अनुवृद्धि का चयन किया गया है तो उसके अंतर्गत हितलाभों को छोड़कर, उस पॉलिसी में उल्लिखित हितलाभ)।
- मूल बीमा राशि** का अर्थ उस राशि से है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और पॉलिसी लेने के समय जिसका चयन पॉलिसीधारक ने किया है।
- लाभार्थी/दावाकर्ता** का अर्थ उस व्यक्ति/संस्था से है, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो। लाभार्थी, जिन्हें हितलाभ देय है, वह है प्रस्तावक या बीमित या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशित या समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों, जिन्होंने उसकी संपदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारतीय संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
- निरंतर बीमायोग्यता**, यदि किसी अनुवृद्धि का चयन किया गया है तो उसके सहित पॉलिसी के पुनर्चलन किए जाने पर निगम की संतुष्टि के अनुसार बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की बीमायोग्यता का निर्धारण है जो पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों पर तथा पुनर्चलन के समय निगम की बीमालेखन नीति के अनुसार इस संबंध में मांगी गई अतिरिक्त सूचना पर निर्भर होगी।
- निगम** का अर्थ, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम है।
- पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख** इस पॉलिसी की प्रारंभ-तारीख है।
- जोखिम प्रारंभ होने की तारीख** वह तारीख है, जिस पर निगम, बीमा (सुरक्षा) के लिए जोखिम को स्वीकृत करता है, जैसाकि इस पॉलिसी की अनुसूची में दर्शाया गया है।
- पॉलिसी जारी करने की तारीख** वह तारीख है, जब बीमालेखन के पश्चात् प्रस्ताव को पॉलिसी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और यह संविदा चालू हो गया है।
- परिपक्वता की तारीख** अनुसूची में विनिर्दिष्ट वह तारीख है जब पॉलिसी अवधि पूरी होती है।
- निहित होने की तारीख**, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पड़ने वाली अथवा उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ तिथि है। ऐसे निहित होने की तारीख पर यह पॉलिसी निगम और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा। बीमित व्यक्ति पॉलिसी का पूर्ण मालिक बन जाएगा और इस पर प्रस्तावक अथवा उसका संपदा का कोई अधिकार या स्वार्थ नहीं रहेगा।
- मृत्यु हितलाभ** वह हितलाभ है, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय होता है, जैसाकि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'सी' की शर्त 1.क में विनिर्दिष्ट है।
- विमुक्ति प्रपत्र** वह प्रपत्र है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता/अभ्यर्पण/मृत्यु हितलाभ का दावा करने के लिए पॉलिसीधारक/दावाकर्ता को भरना होता है।
- नियत तारीख** वह नियत तारीख है जब प्रीमियम देय होता है और पॉलिसीधारक द्वारा अदा कर दिया जाना चाहिए।
- पृष्ठांकन** का अर्थ वे शर्तें हैं, जो इस पॉलिसी के साथ संलग्न हैं और जिनके द्वारा निगम ने पॉलिसी में सहमतिपूर्वक संशोधन अथवा सुधार किए हैं।
- अतिरिक्त प्रीमियम** वह प्रभार है जो बीमालेखन निर्णय के कारण किसी ऐसे अतिरिक्त जोखिम के लिए लिया जाता है जो न्यूनतम संविदा प्रीमियम में नहीं दिया गया है।

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

- Age** is the age nearer birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy except for age 8 years for which the age is in completed years.
- Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- Annualized Premium** shall be the premium amount payable in a year chosen by the policyholder excluding the taxes, rider premiums, underwriting extra premiums and loadings for modal premiums, if any.
- Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
- Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this Policy Document excluding benefits covered under Rider(s), if opted for).
- Basic Sum Assured** means the amount specified in the Schedule as opted by the Policyholder at the time of taking the policy.
- Beneficiary/ Claimant** means the person(s)/ entity who is/ are entitled to receive the benefits under this policy. The Beneficiary to whom benefits are payable is the Proposer or Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time or Nominee(s) under Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
- Continued Insurability** is the determination of insurability of Life Assured/Proposer on revival of policy with rider(s) if opted for, to the satisfaction of the Corporation based on the information, documents and reports that are already available and any additional information in this regard if and as may be required in accordance with the Underwriting Policy of the Corporation at the time of revival.
- Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
- Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
- Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the policy.
- Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
- Date of Maturity** means the date specified in the schedule on which the Policy term is completed.
- Date of vesting** shall be the policy anniversary date coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age. On such vesting date, this policy shall be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to have any right or interest therein.
- Death Benefit** means the benefit, which is payable on death, as specified in Condition 1.A of Part C of this Policy Document.
- Discharge form** is the form to be filled by policyholder/ claimant to claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
- Due Date** means a fixed date on which the policy premium is due and payable by the policyholder.
- Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
- Extra premium** means a charge, due to underwriting decision, for any additional risk not provided for, in minimum contract premium.

21. **अंतिम अतिरिक्त बोनस** जिसे अंतिम बोनस भी कहा जाता है, वह अतिरिक्त राशि है जो पॉलिसी समाप्ति पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस के साथ देय होती है बशर्ते कि ऐसा अंतिम अतिरिक्त बोनस निगम द्वारा घोषित किया गया हो और पॉलिसी ऐसे अंतिम अतिरिक्त बोनस के लिए ग्राह्य हो।
22. **पूर्व-समापन**, देय तारीख पर बकाया ऋण और/अथवा ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने के कारण पॉलिसी के बंद करने की कार्यवाही है जब बकाया ऋण और उसके ब्याज की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाए।
23. **निःशुल्क अवलोकन अवधि** पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी प्राप्त करने की तारीख के बाद 15 दिनों की वह अवधि है, जिसके दौरान वह पॉलिसी के नियम/शर्तों का पुनरावलोकन कर सकता है और यदि पॉलिसीधारक किसी नियम/ शर्त से सहमत नहीं है तो उसके पास पॉलिसी वापस करने का विकल्प है।
24. **अनुग्रह अवधि** किसी जुर्माने या विलंब शुल्क के बिना प्रीमियम अदा करने के लिए नियत तारीख के बाद बीमाकर्ता द्वारा दिया गया वह अतिरिक्त समय है, जिसके दौरान पॉलिसी बीमा सुरक्षा के साथ चालू मानी जाती है और पॉलिसी के नियम/ शर्तों के अनुसार उसमें कोई व्यवधान नहीं आता।
25. **गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य**, पॉलिसी अभ्यर्पित किए जाने पर पॉलिसीधारक को देय अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीकृत राशि है।
26. **चालू पॉलिसी** ऐसी पॉलिसी है, जिस पर सभी देय प्रीमियम अदा कर दिए गए हैं और अनुग्रह अवधि से अधिक समय के लिए प्रीमियम बकाया नहीं हैं।
27. **आईआरडीएआई** का अर्थ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, जिसे पहले बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) कहा जाता था।
28. **“कालातीत”** पॉलिसी की वह अवस्था है जब अनुग्रह अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो।
29. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है, जिसके जीवन पर बीमा सुरक्षा स्वीकृत किया गया है।
30. **ऋण**, निगम द्वारा पॉलिसीधारक को अभ्यर्पण मूल्य के एवज में देय वह राशि है, जो ब्याज सहित चुकाई जानी है।
31. **परिपक्वता हितलाभ** वह हितलाभ है जो पॉलिसी के परिपक्व होने पर देय होता है, जैसाकि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'सी' की शर्त 1.ख में विनिर्दिष्ट है।
32. **महत्वपूर्ण सूचना** पॉलिसी लेने के समय बीमित व्यक्ति पॉलिसीधारक/ प्रस्तावक को पहले से ही ज्ञात वह सूचना है, जो प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव/ पॉलिसी के बीमालेखन को प्रभावित करती है।
33. **नाबालिग** वह व्यक्ति है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
34. **नामांकन** वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रस्ताव-पत्र में किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों को "नामिती" के रूप में दर्ज किया गया हो अथवा बाद में पृष्ठांकन के माध्यम से शामिल किया गया हो/बदला गया हो। नामांकन समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होना चाहिए।
35. **नामिती** इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक (जो बीमित व्यक्ति भी है) द्वारा नामित व्यक्ति है/हैं, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत देय दावा हितलाभ प्राप्त करने और दावे के निपटान पर निगम को वैध विमोचन देने के लिए प्राधिकृत है/हैं।
36. **मृत्यु हितलाभ किशतों में लेने का विकल्प**: इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'डी' की शर्त 8 के विनिर्देश के अनुसार, मृत्यु हितलाभ किशतों में प्राप्त करने का विकल्प इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एक विकल्प है, जिसके अनुसार मृत्यु हितलाभ एकमुश्त लेने के बजाय, पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई समय-अवधि में किशतों में लिया जा सकता है।
37. **भागीदार** पॉलिसी का अर्थ, उस पॉलिसी से है, जो पॉलिसी के नियम/शर्तों के अनुसार उत्पन्न बचत (लाभ) के किसी भाग के लिए हकदार हो।
38. **प्रदत्त** पॉलिसी की वह अवस्था है, जब प्रीमियम कम से कम दो पूर्ण वर्षों के लिए अदा कर दी गई हो और उसके बाद की प्रीमियम अदा न की गई हो।
39. **पॉलिसी की वर्षगांठ** का अर्थ, पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष और उसके बाद पॉलिसी परिपक्व होने की तारीख तक, प्रत्येक वर्ष आने वाली वही तारीख है।
40. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** निगम द्वारा जारी यह दस्तावेज और पृष्ठांकन (यदि कोई हो) है, जो पॉलिसीधारक और निगम के बीच एक कानूनी करार है।
41. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी स्वामी है।
42. **पॉलिसी अवधि** पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख से परिपक्वता की तारीख तक वर्षों में व्यक्त वह अवधि है जो पॉलिसीधारक ने चुनी है और जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
43. **पॉलिसी वर्ष** दो लगातार पॉलिसी वर्षगांठों के बीच का समय है। इस अवधि में पहला दिन शामिल है, किंतु अगली वर्षगांठ का दिन शामिल नहीं है।
21. **Final Additional Bonus**, also called as Terminal Bonus, is an additional amount payable along with Simple Reversionary Bonus when the policy terminates, provided such a Final Additional Bonus is declared by the Corporation and the policy is eligible for such Final Additional Bonus.
22. **Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and / or loan interest on due date when the outstanding loan amount along with interest is to exceed the surrender value.
23. **Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document by the policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
24. **Grace period** is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty or late fee, during which time the policy is considered to be in force with the risk cover without any interruption.
25. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
26. **In-force policy** means a policy in which all the due premiums have been paid and the premiums are not outstanding beyond grace period.
27. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
28. **Lapse** is the status of the Policy when due premium is not paid within the grace period.
29. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.
30. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.
31. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity as specified in condition 1B of Part C of this Policy Document.
32. **Material information** is the information already known to the Policyholder/Life Assured/Proposer at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal /Policy submitted.
33. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
34. **Nomination** is the process of nominating a person(s) who is (are) named as "Nominee(s)" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.
35. **Nominee(s)** means the person(s) nominated by the Policyholder (who is also the Life Assured) under this Policy who is (are) authorised to receive the claim benefit payable under this Policy and to give a valid discharge to the Corporation on settlement of the claim.
36. **Option to take Death Benefit in instalments**: Option to take death benefit in instalments, as specified in Condition 8 of Part D of this Policy Document, is an option available under this Policy, to receive Death Benefit in instalments instead of lumpsum amount over a period chosen by the Policyholder/ Life Assured.
37. **Participating Policy** means a Policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience in accordance with the terms and conditions of the policy.
38. **Paid - Up** is the status of the Policy if the premiums are paid for at least two full years and subsequent premium/s be not paid.
39. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling each year thereafter, till the date of maturity.
40. **Policy/ Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
41. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
42. **Policy term** is the period, in years as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement of policy to the Date of Maturity.
43. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

44. **प्रीमियम**, इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए, इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित वह संविदागत राशि है जो पॉलिसीधारक द्वारा आवधिक रूप से विनिर्दिष्ट समयों पर अदा की जानी है। देय प्रीमियम "कुल किश्त प्रीमियम" होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रीमियम शामिल हैं:
- मूल पॉलिसी के लिए किश्त प्रीमियम; और
 - यदि अनुवृद्धि(यों) का चयन किया गया है तो अनुवृद्धि(यों) के लिए किश्त प्रीमियम
- इस पॉलिसी दस्तावेज में कहीं पर भी प्रयुक्त "प्रीमियम" शब्द में कोई कर शामिल नहीं है, उनका भुगतान अलग से किया जाना है।
45. **प्रीमियम भुगतान अवधि** वर्षों में वह अवधि है, जिसके दौरान प्रीमियम देय है।
46. **प्रस्तावक** जीवन बीमा के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है।
47. **पुनर्चलन** प्रीमियम की गैर-अदायगी के कारण बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन का अर्थ है बीमित व्यक्ति और/अथवा प्रस्तावक (यदि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम माफी अनुवृद्धि का चयन किया है) की निरंतर बीमायोग्यता के विषय में संतुष्ट होकर, पॉलिसी के नियम/ शर्तों के अनुसार सभी देय प्रीमियम तथा अन्य प्रभार/विलंब शुल्क, यदि कोई हो, लेकर बीमालेखन निर्णय बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेखित सभी हितलाभों के साथ अनुवृद्धि हितलाभों, यदि कोई हो, के साथ या वगैर, पॉलिसी को फिर से बहाल करना।
48. **पुनर्चलन अवधि** पहली अदत्त प्रीमियम की तारीख से पांच निरंतर वर्ष की वह अवधि है जिसके दौरान पॉलिसीधारक को उस पॉलिसी को पुनर्चलित कराने का अधिकार होगा, जो प्रीमियम अदा न करने के कारण बंद कर दी गई थी।
49. **अनुवृद्धि** वह अतिरिक्त सुरक्षा है जिसका चयन मूल योजना के साथ किया जा सकता है।
50. **अनुवृद्धि हितलाभ** का अर्थ हितलाभ की वह राशि है जो अनुवृद्धि के अंतर्गत प्रदत्त घटना होने पर देय है और यह मूल पॉलिसी के हितलाभों पर अतिरिक्त हितलाभ के रूप में दिया जाता है।
51. **अनुवृद्धि प्रीमियम**, वह प्रीमियम है जो पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ-साथ, अनुवृद्धि के अंतर्गत चुने गए किसी अतिरिक्त सुरक्षा/ हितलाभ के लिए देय है।
52. **अनुवृद्धि बीमा राशि** वह निश्चित धनराशि है जो चुनी गई अनुवृद्धि के अंतर्गत सुरक्षित घटना होने पर देय होती है।
53. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का वह भाग है जिसमें आपकी पॉलिसी के विशेष विवरण हैं।
54. **साधारण प्रत्यावर्ती बोनस**, वह अधिशेष/लाभ है जो निगम द्वारा भागीदार पॉलिसियों के अनुभव के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में घोषित किया जाता है और जिसको पॉलिसी में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार पॉलिसी के हितलाभों में जोड़ दिया जाता है।
55. **निपटान विकल्प** इस पॉलिसी के भाग 'डी' की शर्त 9 में विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अंतर्गत वह विकल्प है, जिसमें पॉलिसी हितलाभ एकमुश्त प्राप्त करने के बजाय, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई समय अवधि के दौरान किश्तों में प्राप्त किए जाते हैं।
56. **मृत्यु पर बीमा राशि**, इस पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर देय निश्चित राशि वाला हितलाभ है।
57. **परिपक्वता पर बीमा राशि** वह राशि है जो पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पॉलिसी की परिपक्वता पर देय होनी निश्चित है।
58. **अभ्यर्पण** का अर्थ है परिपक्वता से पहले ही पूरी पॉलिसी का पूर्ण आहरण/समापन।
59. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ उस राशि से है जो इस पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, अभ्यर्पण की स्थिति में देय होती है।
60. **कुल अदा किया गया प्रीमियम**, किसी अतिरिक्त प्रीमियम, अनुवृद्धि प्रीमियम और करों को छोड़कर, प्राप्त किए गए सभी प्रीमियमों का योग है।
61. **सारणीबद्ध प्रीमियम** किसी छुट या अतिरिक्त लोडिंग के प्रयोग के बिना बीमित व्यक्ति के आयु पर चुनी गई मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम है।
62. **बीमालेखन** वह पारिभाषिक शब्द है, जिसका प्रयोग जोखिम का निर्धारण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सुरक्षा की लागत संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाए गए जोखिम के समानुपाती है। बीमालेखन के आधार पर, जोखिम को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का तथा उचित प्रीमियम या संशोधित शर्तों, यदि कोई हों, की प्रयोज्यता पर निर्णय लिया जाता है।
63. **यूआईएन** का अर्थ है आईआरडीआई द्वारा इस योजना को आवंटित अनन्य पहचान संख्या।
64. **निहित बोनस** वह साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (यदि कोई हो) जिसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है और जो पॉलिसी से सम्बद्ध रहता है।

44. **Premium** is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The premium payable will be "Total Instalment Premium" which includes
- Instalment Premium for Base Policy and
 - Instalment Premium for Rider(s) if Rider(s) has been opted for.
- The term 'Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes which is payable separately.
45. **Premium paying term** means the period, in years, during which premium is payable.
46. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.
47. **Revival of a policy** means restoration of the policy, which was discontinued due to the non-payment of premium by the insurer with all benefits mentioned in the policy document, with or without rider benefits if any, upon the receipt of all the premiums due and other charges or late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the Continued Insurability of the Life Assured and/or proposer (if LIC's Premium Waiver Benefit Rider is opted for).
48. **Revival Period** means the period of five consecutive years from the date of first unpaid premium, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium.
49. **Rider** is an additional cover which can be opted for along with base plan.
50. **Rider Benefits** means an amount of benefit payable on a specified event offered under the rider and is allowed as add-on benefit to benefit under Base Policy.
51. **Rider Premium** is the premium payable by the Policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/benefit opted under the rider, if opted.
52. **Rider Sum Assured** is the assured amount payable on happening of a specified event covered under the rider, if opted.
53. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.
54. **Simple Reversionary Bonus** is the surplus/profit declared at the end of each financial year by the Corporation based on the Corporation's experience to the Participating policies and added to the benefits under the policy as per terms and conditions as specified in the policy document.
55. **Settlement Option:** Settlement Option, as specified in Condition 9 of Part D of this Policy Document, is an option available under this Policy, to receive Maturity Benefit in instalments instead of lumpsum amount over a period chosen by the Policyholder/ Life Assured.
56. **Sum Assured on Death** means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable on death of life assured in accordance with the terms and conditions of the policy.
57. **Sum Assured on Maturity** means the amount which is guaranteed to become payable on maturity of the policy, in accordance with the terms and conditions of the policy.
58. **Surrender** means complete withdrawal or termination of the entire policy before expiry of policy term.
59. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of the policy.
60. **Total Premiums paid** means the total of all premiums received, excluding any extra premium, any rider premium and taxes.
61. **Tabular premium** is the premium for the chosen Basic Sum Assured, on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading.
62. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.
63. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.
64. **Vested Bonus** is the simple reversionary bonus, if any, which has already been declared and remains attached to the policy.

1. एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

क. मृत्यु हितलाभ: परिपक्वता की नियत तारीख से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में देय मृत्यु हितलाभ, निहित साधारण बोनसों के और किसी अतिरिक्त बोनस के साथ "मृत्यु पर बीमा राशि" होगा।

जिसमें कि "मृत्यु पर बीमा राशि" को, मूल बीमा राशि या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुणा में जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तारीख तक अदा किए गए प्रीमियमों (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, अनुवृद्धि प्रीमियम और करों को छोड़कर) के 105 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान नामितियों को पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के चयन के अनुसार ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से और/अथवा किशतों में किया जाएगा जैसाकि, इस पॉलिसी के भाग 'डी' की शर्त 8 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ख. परिपक्वता हितलाभ: परिपक्वता की तारीख तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर यदि पॉलिसी चालू है तो निहित साधारण प्रत्यावर्त बोनस और किसी अतिरिक्त बोनस के साथ "परिपक्वता पर बीमा राशि" देय होगी, जिसमें "परिपक्वता पर बीमा राशि", मूल बीमा राशि के समान है।

पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह परिपक्वता हितलाभ उपर्युक्त तरीके से एकमुश्त प्राप्त कर सकता/सकती है या किशतों में (निपटान विकल्प) जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'डी' की शर्त 9 में विनिर्दिष्ट है।

2. अनुवृद्धि हितलाभ:

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित पांच अनुवृद्धि हितलाभ उपलब्ध हैं:

क. एल. आई. सी. की दुर्घटनागत मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि (यूआईएन: 512B209V02)

ख. एल. आई. सी. की नई अवधि बीमा अनुवृद्धि (यूआईएन: 512B210V01)

ग. एल. आई. सी. की दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि (यूआईएन: 512B203V03)

घ. एल. आई. सी. की नई गंभीर रोग हितलाभ अनुवृद्धि (यूआईएन: 512A212V01)

ङ. एल. आई. सी. की प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि (यूआईएन: 512B204V03)

तथापि, योग्य बीमित व्यक्ति, एल. आई. सी. की दुर्घटनागत मृत्यु एवं अपंगता अनुवृद्धि और एल. आई. सी. की दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि में से एक का ही चयन कर सकता है।

एल. आई. सी. की दुर्घटनागत मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि/ दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि: एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत, इन दोनों में से एक अनुवृद्धि का चयन प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है बशर्ते कि मूल पॉलिसी की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। अवयस्कों के जीवन पर जारी पॉलिसी के अंतर्गत, यह अनुवृद्धि विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद की पॉलिसी वर्षगांठ से उपलब्ध होगी।

एल. आई. सी. की प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि: एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर (क्योंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है) इस अनुवृद्धि का चयन, पॉलिसी वर्षगांठ पर किसी भी समय किंतु मूल पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान की अवधि के दौरान किया जा सकता है बशर्ते कि मूल पॉलिसी और अनुवृद्धि के प्रीमियम की भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष शेष हो। साथ ही, इस अनुवृद्धि की अनुमति उस पॉलिसी के अंतर्गत दी जाएगी, जिनमें यह अनुवृद्धि चुनने के समय बीमित व्यक्ति अवयस्क होगा। अनुवृद्धि की अवधि, इस अनुवृद्धि के चयन की तिथि पर मूल पॉलिसी के शेष प्रीमियम भुगतान की अवधि अथवा इस अनुवृद्धि के चयन के समय पर बीमित नाबालिग की आयु 25 में से घटाकर आनेवाली अवधि, दोनों में से जो भी कम हो, वह होगी।

यदि इस अनुवृद्धि का चयन किया जाता है तो प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु की तारीख के बाद अनुवृद्धि अवधि समाप्त होने तक देय होने वाले मूल पॉलिसी से संबंधित प्रीमियमों के भुगतान की छूट दे दी जाएगी। तथापि, ऐसी स्थिति में यदि मूल पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की अवधि अनुवृद्धि अवधि से अधिक है तो इस प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि अवधि की समाप्ति की तारीख तक मूल पॉलिसी के अंतर्गत भविष्य में देय सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति को करना होगा। ऐसे प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी, प्रदत्त पॉलिसी हो जाएगी।

एल. आई. सी. की नई अवधि बीमा अनुवृद्धि/नई गंभीर रोग हितलाभ अनुवृद्धि: ये अनुवृद्धियाँ अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर केवल पॉलिसी के प्रारंभ में ही उपलब्ध हैं।

यदि अनुवृद्धियों का चयन किया जाता है तो उनकी शर्तें इस पॉलिसी के पृष्ठांकन के रूप में संलग्न हैं।

3. नाबालिग के जीवन पर जारी पॉलिसी का निहित होना:

यदि बीमित व्यक्ति निहित होने की तारीख पर जीवित है और पॉलिसी की धनराशियों को प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति से, निहित होने तक की तारीख तक पॉलिसी के अभ्यर्पण का लिखित अनुरोध निगम को प्राप्त नहीं हुआ है तो निहित होने की ऐसी तारीख को यह पॉलिसी स्वतः बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी।

1. The following benefits are payable under an in-force policy:

A. Death Benefit: Death benefit payable in case of death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is inforce, shall be "Sum Assured on Death" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, . Where, "Sum Assured on Death" is defined as higher of Basic Sum Assured or 7 times of Annualized Premium.

This Death Benefit shall not be less than 105% of the total premiums paid (excluding any extra premium, any rider premium and taxes) upto the date of death.

The Death Benefit shall be paid in lumpsum as specified above and/or in instalments, as specified in condition 8 of Part D of this Policy Document , as per the option exercised by the Policyholder/ Life Assured.

B. Maturity Benefit: On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is inforce, "Sum Assured on Maturity" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable. Where "Sum Assured on Maturity" is equal to Basic Sum Assured.

The Policyholder/Life Assured shall have an option to receive the Maturity benefit in lumpsum as specified above and/or in instalments (Settlement Option), as specified in Condition 9 of Part D of this Policy Document.

2. Rider Benefits:

The following five riders are available under this policy:

A. LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN: 512B209V02)

B. LIC's New Term Assurance Rider (UIN 512B210V01)

C. LIC's Accident Benefit Rider (UIN: 512B203V03)

D. LIC's New Critical Illness Benefit Rider (UIN 512A212V01)

E. LIC's Premium Waiver Benefit Rider (UIN: 512B204V03)

However, the eligible Life Assured can opt between either of the LIC's Accidental Death and Disability Rider or LIC's Accident Benefit Rider.

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider / LIC's Accident Benefit Rider: Under an in-force policy either of these riders can be opted for at any time within the premium paying term of the Base Policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy is at least five years. Under the policy on the life of minors, this rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request.

LIC's Premium Waiver Benefit Rider: Under an inforce policy, this Rider can be opted for on the life of proposer of policy (as a Life Assured is minor) at any time coinciding with the Policy Anniversary but within the premium paying term of the Base policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy and rider is atleast five years. Further this rider shall only be allowed under the policy wherein the Life Assured is Minor at the time of opting this rider. The Rider term shall be outstanding premium paying term of Base Policy as on date of opting this rider or (25 minus age of the minor Life Assured at the time of opting this rider), whichever is lower.

If the rider is opted for, on death of proposer, payment of premiums in respect of Base Policy falling due after the date of death till the expiry of Rider Term shall be waived. However, in such case, if the Premium Paying Term of the Base Policy exceeds the rider term, all the further premiums due under the base policy from the date of expiry of this Premium Waiver Benefit Rider term shall be payable by the Life Assured. On non-payment of such premium the policy would become paid-up.

LIC's New Term Assurance Rider/LIC's New Critical Illness Benefit Rider: These riders are available only at the inception of the policy on payment of additional premium.

Conditions of rider(s), if opted, are enclosed as endorsement to this policy.

3. Vesting of policy on the life of a minor :

If the Life Assured is alive on the Date of vesting and if a request in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such Date of vesting from the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in the Life Assured on such Date of vesting.

4. लाभ में प्रतिभागी:

बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, निगम के अनुभव पर निर्भर करते हुए, समय-समय पर संशोधित भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार, पॉलिसी लाभों की प्रतिभागी होगी, और ऐसी दर और ऐसी शर्तों, जैसीकि निगम द्वारा घोषित की जाएं, पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की पात्र होगी।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हर साल साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा की जाएगी बशर्ते कि पॉलिसी पूरी तरह चालू हो। एक बार घोषित किए जाने के बाद, ये बोनस, योजना के गारंटीकृत हितलाभों का हिस्सा बन जाएंगे। साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, पॉलिसी के प्रारंभ से लेकर चुनी गई पॉलिसी तक या मृत्यु तक (यदि मृत्यु पहले हो जाए) जोड़ा जाएगा।

यदि प्रीमियमों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो पॉलिसी भविष्य के लाभों के प्रतिभागी नहीं रहेगी, चाहे पॉलिसी ने प्रदत्त मूल्य को प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, अभ्यर्पण की तारीख पर लागू निहित बोनसों का अभ्यर्पण मूल्य, इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'डी' की शर्त 4 के विनिर्देश के अनुसार देय होगा।

अंतिम प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा भी पॉलिसी के अंतर्गत उस वर्ष में की जा सकती है जिसमें मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण पॉलिसी दावे में परिवर्तित होती है।

अंतिम प्रत्यावर्ती बोनस, प्रदत्त पॉलिसियों के अंतर्गत देय नहीं होगा।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

क. इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची के विनिर्देश के अनुसार, पॉलिसीधारक को समय-समय पर लागू करें सहित, प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

ख. जिस चालू पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु की तारीख तक देय सभी प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है और जिसमें प्रीमियम भुगतान का प्रणाली वार्षिक के अलावा है, उसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु की तारीख से अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक कोई प्रीमियम यदि शेष होगा, तो वह दावा राशि में से काट लिया जाएगा।

निगम ऐसा कोई नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं है कि प्रीमियम अथवा राशि देय हो गई है।

6. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से 30 दिन और मासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए 15 दिन की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी जाएगी। यदि अनुग्रह के दिन समाप्त होने से पूर्व प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी।

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह-अवधि के दौरान किंतु देय प्रीमियम अदा करने से पूर्व हो जाती है तो पॉलिसी तब भी वैध रहेगी और उपर्युक्त अदत्त प्रीमियम तथा मृत्यु की तारीख से अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक देय प्रीमियम के साथ किसी शेष प्रीमियमों की राशि काटकर, हितलाभों का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुग्रह अवधि उन अनुवृद्धि प्रीमियमों पर भी लागू होगी, जो मूल बीमा पॉलिसी प्रीमियम के साथ ही देय होते हैं।

भाग - 'डी' : सेवा पक्ष से संबंधित शर्तें

1. **आयु का प्रमाण :** चूंकि प्रीमियमों की गणना, प्रस्ताव पत्र में बीमित व्यक्ति की घोषित आयु के आधार पर की गई है, इसलिए यदि आयु ऐसी घोषित आयु से अधिक पाई जाती है तो समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और उपायों सहित, निगम के अन्य अधिकारों तथा उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रवेश के समय की सही आयु के समय पॉलिसी की स्थिति के अनुसार संबंधित बीमा राशि पर तथा अनुवृद्धि बीमा राशि (यदि कोई हो) पर गणना की दर से प्रीमियम देय होगा और पॉलिसी प्रारंभ होने से लेकर, ऐसे भुगतान की तारीख तक सही आयु के प्रीमियमों और मौलिक प्रीमियमों के संचित अंतर का भुगतान निगम को ब्याज सहित उस दर पर देय होगा, जिसका निर्धारण निगम समय-समय पर करेगा। तथापि, यदि बीमित व्यक्ति/ प्रस्तावक यहां लिखित दरों पर प्रीमियमों का भुगतान जारी रखता है और उपर्युक्त संचित ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पॉलिसी प्रारंभ होने से पॉलिसी के दावे में परिवर्तित होने तक, ठीक आयु के प्रीमियमों और मौलिक प्रीमियमों का संचित अंतर, ऐसे अंतर की प्रत्येक किश्त पर निगम द्वारा समय-समय पर नियत दर पर ब्याज सहित उपचित हो जाएगा, जो उस पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/ प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा और उसकी राशि, पॉलिसी के दावे में परिवर्तित होने पर देय पॉलिसी मुद्रा में से काट ली जाएगी।

4. Participation in profits:

Provided the policy is in-force, depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in profits in accordance with the applicable provisions of LIC Act, 1956, as amended from time to time and shall be eligible for a Simple Reversionary Bonus at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the end of each financial year provided the policy is inforce. Once declared, they form part of the guaranteed benefit of the plan. Simple reversionary Bonuses will be added from the date of commencement of policy until the selected policy term or till death, if it occurs earlier.

In case the premiums are not duly paid, the policy shall cease to participate in future profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid up value.

In the event of policy being surrendered, the Surrender Value of vested bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable as specified in Condition 4 of Part D of this Policy Document.

Final Additional Bonus may also be declared under the policy in the year when the policy results into a claim either by death or maturity.

Final Additional Bonus shall not be payable under paid up policies.

5. Payment of Premiums:

a. The policyholder has to pay the Premium on the due dates as specified in the Schedule of this Policy Document alongwith applicable taxes, if any from time to time.

b. In case of death of Life Assured under an in-force policy wherein all the premiums due till the date of death have been paid and where the mode of payment of premium is other than yearly, balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

The Corporation does not have any obligation to issue a notice that premium is due or for the amount that is due.

6. Grace period:

A grace period of 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums from the date of First unpaid premium. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the balance premium (s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary.

The above grace period will also apply to rider premiums which are payable along with premium for base policy.

PART – D:

CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, as amended from time to time the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured and Rider(s) Sum Assured, if opted for, for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु ऐसी है जिससे कि उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्ग या बीमा शर्तों के अंतर्गत बीमे के अयोग्य हो जाता तो वर्ग और बीमा संबंधी शर्तें परिवर्तित होकर, बीमे की ऐसी योजना हो जाएगी, जैसाकि इस पॉलिसी के प्रारंभ के समय चालू प्रक्रिया के अनुसार निगम द्वारा प्रदान की जाती हैं और ऐसा पॉलिसीधारक की सहमति से किया जाएगा अन्यथा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी।

2. जब्ती और गैर-जब्ती विनियम:

जब्ती विनियम:

- सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, यदि इस पॉलिसी के लिए दो वर्ष से कम का प्रीमियम अदा किया गया है और उसके बाद देय कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया है तो छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा तब तक अदा किए गए प्रीमियम भी वापसीयोग्य नहीं होंगे।
- कुछ अन्य स्थितियों में जब्ती: यदि यहां निहित अथवा पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन होता है अथवा यदि ऐसा पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र में, व्यक्तिगत बयान/कथन में, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य अथवा गलत बयान निहित है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है तो तब और ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी भंग हो जाएगी और इस कारण से, किसी भी हितलाभ के दावों पर, समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे।

गैर-जब्ती विनियम:

यदि कम से कम दो वर्षों का पूर्ण प्रीमियम अदा कर दिया गया है और उसके पश्चात के प्रीमियम अदा नहीं किए गए हैं तो यह पॉलिसी पूरी तरह शून्य नहीं होगी बल्कि एक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि घट कर ऐसी राशि रह जाएगी, जिसे मृत्यु प्रदत्त बीमा राशि कहा जाता है और यह राशि, मूल रूप से देय प्रीमियम भुगतान की अधिकतम अवधि और पहले से ही भुगतान कर दिए गए प्रीमियम की कुल अवधि के अनुपात से, मृत्यु पर बीमा राशि को गुणा करके आई राशि के समान होगी। मृत्यु प्रदत्त बीमा राशि के अतिरिक्त, यदि कोई साधारण प्रत्यावर्ती बोनस निहित होगा, उसका भुगतान भी मृत्यु पर देय होगा।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमा राशि घटकर ऐसी राशि रह जाएगी जिसे "परिपक्वता प्रदत्त बीमा राशि" कहा जाता है और यह राशि, मूल रूप से देय प्रीमियम भुगतान की अधिकतम अवधि और पहले से ही भुगतान कर दिए गए प्रीमियम की कुल अवधि के अनुपात से, परिपक्वता पर बीमा राशि को गुणा करके आई राशि के समान होगी। परिपक्वता प्रदत्त बीमा राशि के अतिरिक्त यदि कोई साधारण प्रत्यावर्ती बोनस निहित होगा, वह भी परिपक्वता पर देय होगा।

प्रदत्त पॉलिसी भविष्य के लाभ की भागीदारी के लिए ग्राह्य नहीं होगी। तथापि, यदि कोई निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस होगा तो वह घटी हुई प्रदत्त पॉलिसी से सम्बद्ध रहेगा।

ऊपर चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि इस पॉलिसी के संबंध में 3 पूर्ण वर्षों का प्रीमियम अदा कर दिया गया है और उसके बाद के प्रीमियमों का विधिवत् भुगतान नहीं हुआ है तो पहले अदत्त प्रीमियम की देय तारीख से छह महीने के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, (क) मूल बीमा पॉलिसी के लिए मृत्यु की तारीख तक ऐसी अवधि के दौरान पॉलिसी के पुनर्चलन के समान शर्तों पर, ब्याज सहित अदत्त प्रीमियम; और (ख) मृत्यु की तारीख से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व मूल पॉलिसी पर देय होने वाले शेष प्रीमियमों को काटकर "मृत्यु पर बीमा राशि" का भुगतान किया जाएगा। यह प्रावधान आत्महत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा।

ऊपर चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि इस पॉलिसी के संबंध में कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान हो गया है और उसके बाद के प्रीमियमों का विधिवत् भुगतान नहीं किया गया है तो पहले अदत्त प्रीमियम की देय तारीख से 12 माह के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में (क) मूल बीमा पॉलिसी के लिए मृत्यु की तारीख तक ऐसी अवधि के लिए पॉलिसी के पुनर्चलन के समान शर्तों पर, ब्याज सहित अदत्त प्रीमियम; और (ख) मृत्यु की तारीख से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व मूल पॉलिसी पर देय होने वाले प्रीमियमों को काटकर "मृत्यु पर बीमा राशि" का भुगतान, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) के साथ किया जाएगा। यह प्रावधान आत्महत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा।

उपर्युक्त गैर-जब्ती विनियम अनुवृद्धियों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि अनुवृद्धियां कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित नहीं करती। यदि पॉलिसी कालातीत अवस्था में है तो अनुवृद्धियां लागू नहीं रहती।

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

2. Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:

Forfeiture Regulations:

- If less than two years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable, and the Premiums paid thitherto are also not refundable.
- Forfeiture in Certain Other Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.

Non-forfeiture Regulations:

If after atleast two full years' premiums have been paid and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy till the end of policy term.

The Sum Assured on Death under a paid-up policy shall be reduced to such a sum, called 'Death Paid-up Sum Assured' and shall be equal to Sum Assured on Death multiplied by the ratio of the total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period for which premiums were originally payable. In addition to the Death Paid-up Sum Assured, the vested Simple Reversionary Bonus, if any shall also be payable on death.

The Sum Assured on Maturity under a paid-up policy shall be reduced to such a sum called 'Maturity Paid-up Sum Assured' and shall be equal to Sum Assured on Maturity multiplied by the ratio of the total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period for which premiums were originally payable. In addition to the Maturity Paid-up Sum Assured, the vested Simple Reversionary Bonus, if any shall also be payable on maturity.

A paid-up policy shall not be entitled to participate in future profits. However, the vested Simple Reversionary bonuses, if any, will remain attached to the reduced paid-up policy.

Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, "Sum Assured on Death" along with vested simple reversionary bonuses, and Final Additional Bonuses, if any, will be paid after deduction of (a) the unpaid premium(s) for the base policy with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the balance premium(s) for the base policy falling due from the date of death and before the next policy anniversary. This provision shall not apply in case of death due to Suicide.

Notwithstanding what is stated above, if at least 5 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the first unpaid premium, "Sum Assured on Death" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, will be paid after deduction of (a) the unpaid premium(s) for the base policy with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the balance premium(s) for the base policy falling due from the date of death and before the next policy anniversary. This provision shall not apply in case of death due to Suicide.

All of the above mentioned Non-Forfeiture Regulations do not apply to Riders as the riders do not acquire any paid-up value. The Rider Benefits cease to apply, if the policy is in lapsed condition.

3. **कालातीत पॉलिसियों का पुनर्चलन:** छूट की अवधि के अंदर देय प्रीमियम का भुगतान न किए जाने पर बीमा पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत अवस्था वाली पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में किंतु, यथास्थिति, पुनर्चलन अवधि के दौरान परिपक्वता की तारीख से पहले पुनर्चलित किया जा सकता है। प्रीमियमों की सारी बकाया राशियों का भुगतान, समय-समय पर निगम द्वारा तय ब्याज दर पर ब्याज सहित (अर्ध-वार्षिक संयोजन के साथ) करने पर और पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति/ प्रस्तावक द्वारा, पुनर्चलन के समय निगम की बीमालेखन नीति के अनुसार पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर और इस विषय में मांगी गई किसी अतिरिक्त सूचना के आधार पर बीमित व्यक्ति और/अथवा प्रस्तावक (यदि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि चुनी गई है) की निरंतर बीमायोग्यता के विषय में संतुष्ट होने पर, पुनर्चलन लागू किया जाएगा।

तथापि, किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। समाप्त पॉलिसी का पुनर्चलन तभी लागू होगा जब निगम इसका अनुमोदन कर देगा, इसे स्वीकार करेगा और पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी। यदि अनुवृद्धि (यों) का चयन किया गया है तो उसके/उनके पुनर्चलन पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

4. **अभ्यर्पण:** पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम अदा कर दिए गए हों। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक होगा, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य निगम द्वारा अदा किया जाएगा।

विशेष अभ्यर्पण मूल्य का पुनरावलोकन किया जा सकता है जिसका निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर आईआरडीआई के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, अदा किए गए कुल प्रीमियमों (किसी अतिरिक्त प्रीमियम चुनी गई अनुवृद्धियों के प्रीमियम और करों को छोड़कर) को, पॉलिसी के अंतर्गत अदा किए गए कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा कर के प्राप्त राशि के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त यह गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी अभ्यर्पित करने के पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जो इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की कोई राशि है तो वह भी देय होगी जो कि निहित बोनस को, निहित बोनस पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा करके आयी राशि के समान होगा। यह गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक पॉलिसी अवधि पर और पॉलिसी अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर होगा और यह इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट - 5 में दिए गए हैं।

यदि कोई अनुवृद्धि (अनुवृद्धियां) है तो उन पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

5. **पॉलिसी पर ऋण:** इस पॉलिसी के अंतर्गत, निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य तक का ऋण उन राशियों के लिए और ऐसी अन्य शर्तों पर उपलब्ध होगा, जो समय-समय पर निगम द्वारा तय की जाएगी:
- दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान कर देने पर ऋण लिया जा सकता है।
 - दिया जा सकने वाला अधिकतम ऋण, निम्नानुसार होगा:
 - चालू पॉलिसियों के लिए - अभ्यर्पण मूल्य के 90 प्रतिशत तक
 - प्रदत्त पॉलिसियों के लिए - अभ्यर्पण मूल्य के 80 प्रतिशत तक
 - प्रस्तावक द्वारा बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कि ऋण नाबालिगी बीमित व्यक्ति के कल्याण के लिए लिया जा रहा हो।
 - पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन निगम के पक्ष में किया जाएगा और निगम पॉलिसी को, ऋण और उसके ब्याज को वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखेगा।
 - इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेने के समय निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली दर से, ऋण पर निगम को ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किया जाएगा। लागू होने वाली ब्याज दर आईआरडीआई द्वारा अनुमोदित विधि पर आधारित होगी। ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छह महीने पहले की तारीख पर (ऋण-स्वीकृति की तारीख के तुरंत बाद, इनमें से जो भी पहले हो) किया जाना है और उसके बाद प्रत्येक आधे वर्ष पर किया जाना है।
 - यहां ऊपर उल्लिखित देय तारीखों पर ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में यदि बकाया ऋण और ब्याज अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाता है तो निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्व-समापन करने का हकदार होगा। पूर्व-समापन की जाने वाली ऐसी पॉलिसियां, अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि के अंतर के भुगतान की हकदार होंगी।

3. **Revival of lapsed Policies:** An Insurance Policy would lapse on non payment of due premium within the days of grace. A policy in lapsed condition may be revived during the life time of the Life Assured, but within the Revival period and before the Date of Maturity, as the case may be. The revival shall be effected on payment of all the arrears of premium(s) together with interest (compounding half yearly) at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time and on satisfaction of Continued Insurability of the Life Assured and/or Proposer (if LIC's Premium Waiver Benefit Rider is opted for) on the basis of information, documents and reports that are already available and any additional information in this regard if and as may be required in accordance with the Underwriting Policy of the Corporation at the time of revival, being furnished by the Policyholder/Life Assured/Proposer.

The Corporation however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved, accepted and revival receipt is issued by the Corporation.

Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the revival of the base policy and not in isolation.

4. **Surrender:** The policy can be surrendered by the policyholder at any time during the policy term provided two full years' premiums have been paid. On surrender of the policy, the Corporation shall pay the Surrender Value equal to higher of Guaranteed Surrender Value and Special Surrender Value.

The Special Surrender Value is reviewable and shall be determined by the Corporation from time to time subject to prior approval of IRDAI.

The Guaranteed Surrender Value payable during the policy term shall be equal to the total premiums paid (excluding any extra premium, any premiums for rider(s), if opted for and taxes), multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to total premiums paid. These Guaranteed Surrender Value factors expressed as percentages will depend on the policy term and policy year in which the policy is surrendered and are contained in Annexure - 4 of this Policy Document.

In addition, the surrender value of vested simple reversionary bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to vested bonuses. These Guaranteed surrender value factors will depend on the policy term and the policy year in which policy is surrendered and are contained in Annexure - 5 of this Policy Document.

No surrender value will be available on Rider(s), if any.

5. **Policy Loan:** Loan shall be available under the Policy subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:
- Loan can be availed provided atleast two full years' premiums have been paid.
 - The maximum Loan that can be granted shall be as under:
 - For in-force policies : upto 90% of Surrender Value
 - For paid-up policies : upto 80% of Surrender Value
 - The loan during the minority of Life Assured can be availed by the Proposer provided the loan is raised for the benefit of the minor Life Assured.
 - The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon.
 - Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The applicable interest rate shall be based on the method approved by IRDAI. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter.
 - In the event of default in payment of loan interest on the due dates as mentioned herein above, and when the outstanding loan along with interest is to exceed the surrender value, the Corporation would be entitled to foreclose such policies. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of the difference of surrender value and the loan outstanding amount along with interest, if any.

- vii. यदि पॉलिसी परिपक्व हो जाती है या अभ्यर्पित कर दी जाती है या मृत्यु के कारण दावे में परिवर्तित हो जाती है तो निगम, पॉलिसी की राशि में से बकाया ऋण की राशि ब्याज सहित काटने का अधिकारी होगा।
- viii. निगम, तीन महीने का नोटिस देकर, ऋण की राशि उस पर देय समस्त ब्याज सहित वसूल करने या वापस मांगने का अधिकारी है।

6. पॉलिसी का समापन:

- निम्नलिखित में से सबसे पहले कोई भी स्थिति घटित होने पर, पॉलिसी तुरंत और स्वतः ही समाप्त हो जाएगी :
- क) वह तारीख, जिस पर मृत्यु हितलाभ का एकमुश्त भुगतान/अंतिम किश्त का भुगतान किया गया हो; या
- ख) जिस तारीख पर पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया गया हो; या
- ग) यदि निपटान का विकल्प नहीं चुना गया है तो परिपक्वता की तारीख; या
- घ) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किश्तों के भुगतान पर; या
- ड.) इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग-‘डी’ की शर्त 5 के उल्लेख के अनुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या
- च) यदि पॉलिसी का पुनर्चलन नहीं कराया गया है और पॉलिसी को प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित नहीं किया गया है तो पुनर्चलन अवधि समाप्त होने पर; या
- छ) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण की राशि का भुगतान हो जाने पर।
- ज) पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी के शर्त 2.(ii) में विनिर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

7. निःशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम एवं शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन की निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान वह आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को लौटा सकता है। पॉलिसी प्राप्त होने पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा और सुरक्षा अवधि के लिए समानुपाती जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी के लिए और अनुबद्धि का चयन किया गया है तो उसके लिए) तथा विक्रित्सा जांच, विशेष रिपोर्टों और स्टॉप शुल्क के प्रभार काटकर जमा किए गए प्रीमियम की राशि लौटा देगा।

8. मृत्यु हितलाभ किश्तों में लेने का विकल्प:

यह विकल्प चालू पॉलिसी और प्रदत्त दोनों पॉलिसियों के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभों को एकमुश्त लेने की बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी गई अवधि में किश्तों में लेने का विकल्प है। पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान अथवा 18 वर्ष और उससे अधिक के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो सुनिश्चित मूल्य के रूप में हो सकती है अथवा कुल देय दावा प्राप्ति के कुछ प्रतिशत के रूप में।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किश्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किश्त राशि
मासिक	₹5,000/-
त्रैमासिक	₹15,000/-
अर्ध-वार्षिक	₹25,000/-
वार्षिक	₹50,000/-

यदि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यूनतम किश्त की राशि की व्यवस्था करने के लिए वांछित राशि से कम है तो दावे की प्राप्ति का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

इस विकल्प के अंतर्गत किश्त के भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों का निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

मृत्यु हितलाभ किश्तों में लेने का विकल्प चुनने के लिए, पॉलिसीधारक, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान और वयस्क बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल में पॉलिसी के चालू रहते हुए किसी भी समय यह विकल्प चुन सकता है, जिसमें किश्तों के भुगतान की अवधि और जिस निवल राशि के लिए यह विकल्प चुना जाना है, उस राशि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे में मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के विकल्प के अनुसार नामिती को कर दिया जाएगा और नामिती को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- vii) In case the policy shall mature or surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.

- viii) Corporation is entitled to recover or recall the amount of the Loan with all due interest by giving 3 months notice.

6. Termination of Policy:

The policy shall immediately and automatically terminate on the earliest occurrence of any of the following events:

- a) The date on which lumpsum death benefit/final instalment of death benefit is paid; or
- b) The date on which surrender benefits are settled under the policy; or
- c) The date of maturity if settlement option is not exercised; or
- d) On payment of final installment under Settlement Option; or
- e) In the event of default in payment of loan interest as specified in Condition 5 of Part D of this policy document; or
- f) On expiry of Revival Period if the policy, which has not acquired paid up status, has not been revived within the revival period; or
- g) On payment of free look cancellation amount; or
- h) In the event of forfeiture as specified in Condition 2.(ii) of Part D of this Policy Document.

7. Free look period:

During the Free Look period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for Base Policy and Rider, if opted for) for the period of cover and charges for medical examinations, special reports, if any and stamp duty.

8. Option to take Death Benefit in instalments:

This is an option to receive Death Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lump sum amount under an in-force as well as paid-up policy. This option can be exercised by the Policyholder during minority of the Life Assured or by Life Assured aged 18 years and above, during his/her life time; for full or part of Death benefits payable under the policy. The amount opted for by the Policyholder/Life Assured (i.e. Net Claim Amount) can be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The instalments shall be paid in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for, subject to minimum instalment amount for different modes of payments being as under:

Mode of Instalment payment	Minimum Instalment amount
Monthly	₹5,000/-
Quarterly	₹15,000/-
Half-Yearly	₹25,000/-
Yearly	₹50,000/-

If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount as per the option exercised by the Policyholder/Life Assured, the claim proceed shall be paid in lump sum only.

The interest rates applicable for arriving at the instalment payments under this option shall be as fixed by the Corporation from time to time.

For exercising option to take Death Benefit in instalments, the Policyholder during minority of the Life Assured or the Life Assured, if major, can exercise this option during his/her lifetime while in currency of the policy, specifying the period of Instalment payment and net claim amount for which the option is to be exercised. The death claim amount shall then be paid to the nominee as per the option exercised by the Policyholder/Life Assured and no alteration, whatsoever, shall be allowed to be made by the nominee.

9. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प, चालू और प्रदत्त दोनों ही पॉलिसियों के अंतर्गत, परिपक्वता हितलाभ की एकमुश्त राशि प्राप्त करने की बजाय, उसको 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किश्तों में लेने का विकल्प है। पॉलिसीधारक द्वारा इस विकल्प का चुनाव, इस पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता-प्राप्ति को पूर्ण या आंशिक भाग के लिए, बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो सुनिश्चित मूल्य के रूप में होगी या कुल देय दावा प्राप्ति के कुछ प्रतिशत के रूप में।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्तों की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किश्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किश्त राशि
मासिक	₹5,000/-
त्रैमासिक	₹15,000/-
अर्ध-वार्षिक	₹25,000/-
वार्षिक	₹50,000/-

यदि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यूनतम किश्त की राशि की व्यवस्था करने के लिए वांछित राशि से कम है तो दावे की प्राप्ति का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किश्त के भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों का निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

परिपक्वता हितलाभ के बदले निपटान विकल्प चुनने के लिए, पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति को, परिपक्वता दावे की देय तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व निवल दावा राशि का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तारीख पर किया जाएगा और उसके पश्चात्, पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए किश्त के भुगतान के प्रकार के आधार पर, यथास्थिति, परिपक्वता की तारीख से प्रत्येक महीने, त्रैमासिकी, अर्ध-वार्षिकी या वार्षिकी पर किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किश्तों का भुगतान प्रारंभ होने के पश्चात् :

- परिपक्वता हितलाभ के बदले जिस बीमित व्यक्ति ने निपटान विकल्प चुना है यदि वह व्यक्ति इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किश्तों का विनिमय कराना चाहता है तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से उच्चतम एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी:
 - भविष्य में देय समस्त किश्तों का घटा मूल्य; अथवा
 - (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प चुना गया था) में से (भुगतान की गई कुल किश्तों की राशि) को घटाकर
- भविष्य के किश्त भुगतानों की रियायती दर पर लागू ब्याज दर का निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- निपटान विकल्प चुनने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, बकाया किश्तों का भुगतान, बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामिती को किया जाना जारी रहेगा और इसमें नामिती को कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

**भाग - 'ई'
लागू नहीं**

भाग - 'एफ': अन्य नियम एवं शर्तें

- क) समनुदेशन:** समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-1 में निहित है। समनुदेशन का नोटिस, पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहां इस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं।
- ख) नामांकन:** समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार, जीवन बीमा के पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन किया जाना वांछित है। धारा 39 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-2 में निहित हैं। नामांकन का नोटिस, पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहां इस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। नामांकन के पंजीकरण में निगम कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और न ही उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के विषय में कोई मत प्रकट करता है।

9. Settlement Option (for Maturity Benefit):

Settlement Option is an option to receive Maturity Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lumpsum amount under an in-force as well as paid-up policy. This option can be exercised by the Policyholder during minority of the Life Assured or by Life Assured aged 18 years and above, for full or part of Maturity proceeds payable under the policy. The amount opted for by the Policyholder/Life Assured (i.e. Net Claim Amount) can be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The instalments shall be paid in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for subject to minimum instalment amount for different mode of payments being as under:

Mode of Instalment payment	Minimum Instalment amount
Monthly	₹5,000/-
Quarterly	₹15,000/-
Half-Yearly	₹25,000/-
Yearly	₹50,000/-

If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount as per the option exercised by the Policyholder/Life Assured, the claim proceed shall be paid in lumpsum only.

The interest rates applicable for arriving at the instalment payments under Settlement Option shall be as fixed by the Corporation from time to time.

For exercising the Settlement Option against Maturity Benefit, the Policyholder/Life Assured shall be required to exercise option for payment of net claim amount in instalments at least 3 months before the due date of maturity claim.

The first payment will be made on the date of maturity and thereafter, based on the mode of instalment payment opted for by the policyholder, every month or three months or six months or annually from the date of maturity, as the case may be.

After the commencement of Instalment payments under Settlement Option:

- If a Life Assured, who has exercised Settlement Option against Maturity Benefit, desires to withdraw this option and commute the outstanding instalments, the same shall be allowed on receipt of written request from the Life Assured. In such case, the lump sum amount which is higher of the following shall be paid and policy shall terminate,
 - discounted value of all the future instalments due; or
 - (the original amount for which settlement option was exercised) less (sum of total instalments already paid);
- The interest rate applicable for discounting the future instalment payments shall be as fixed by the Corporation from time to time.
- After the Date of Maturity, in case of death of the Life Assured, who has exercised Settlement Option, the outstanding instalments will continue to be paid to the nominee as per the option exercised by the Life Assured and no alteration whatsoever shall be allowed to be made by the nominee.

PART- E

Not Applicable.

PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

- a) Assignments:** Assignment is allowed under this plan as per Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy Document. The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.
- b) Nominations:** Nomination by the holder of a policy of life assurance on his/her own life is allowed as per Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-2 of this Policy Document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. **आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:** मृत्यु हितलाभ भुगतान हेतु जो भी शर्तें इस पॉलिसी प्रपत्र में कहीं भी उल्लिखित हों परंतु आत्महत्या से हुई मृत्यु की अवस्था में दावे का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा:

- यदि बीमित व्यक्ति (चाहे विक्षिप्त हो या स्वस्थ), जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी समय आत्महत्या कर लेता है तो किन्हीं करों, अतिरिक्त प्रीमियमों (अवधि बीमा अनुवृद्धि प्रीमियम को छोड़कर) को काटकर, कुल अदा प्रीमियमों के 80 प्रतिशत के अलावा अन्य किसी दावे पर निगम विचार नहीं करेगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।
- यदि बीमित व्यक्ति (चाहे विक्षिप्त हो या स्वस्थ), पुनर्चलन की तारीख से 12 महीने के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो मृत्यु की तारीख तक अदा किए गए प्रीमियमों (करों, अतिरिक्त प्रीमियम और किन्हीं अवधि बीमा अनुवृद्धि प्रीमियमों को छोड़कर अनुवृद्धि प्रीमियमों के अलावा) की 80 प्रतिशत राशि या मृत्यु की तारीख पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, वह देय होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत, निगम किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

प्रदत्त मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हुई पॉलिसी पर यह धारा लागू नहीं होगी और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

गैर-जब्त उपबंधों के अंतर्गत उल्लेखित छूट, आत्महत्या से हुई मृत्यु के मामले में लागू नहीं होगी।

3. कर:

भारत सरकार अथवा किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकारी द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई कर लगाया जाता है, तो वह और लागू करों की दर कर-कानूनों के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों पर लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियमों (मूल पॉलिसी और यदि कोई अनुवृद्धि है तो उसके लिए) की राशि, बीमालेखन के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ली गई अतिरिक्त राशि सहित (यदि कोई हो), पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जो अलग से और पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त वसूल की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना करने के लिए करों की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।

4. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:

क) **मृत्यु दावा:** बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दावा दाखिल करते हुए, दावाकर्ता निगम की संतुष्टि के अनुसार जो सामान्य दस्तावेज दाखिल करेगा, वे होंगे: निगम द्वारा निर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, बैंक खाते में दावा राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता से एनईएफटी आदेश-पत्र, अधिकार का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पहले यदि कोई इलाज हुआ हो, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का प्रमाण, जो भी लागू होते हों। यदि पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं है तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी दाखिल किया जाएगा।

कोई भी दावा स्वीकार्य होने के लिए मृत्यु की तारीख से 90 दिन के अंदर, मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ निगम के उस कार्यालय में अधिसूचित की जानी चाहिए, जहां पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। तथापि, दावाकर्ता के द्वारा सच्चे दावों की सूचना में हुई देरी को, निगम के द्वारा गुण-दोष के आधार पर और दावाकर्ता के आधार पर तथा दावाकर्ता के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई देरी प्रमाणित होने पर लागू किया जा सकता है।

ख) **परिपक्वता/अभ्यर्पण दावा:** जब पॉलिसी का अंत, परिपक्वता दावे के रूप में हो या पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, बीमित व्यक्ति को, मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ विमुक्ति प्रपत्र, बैंक खाते में दावा राशि सीधे जमा करने के लिये दावाकर्ता को एनईएफटी आदेश-पत्र के साथ ही आयु का प्रमाण (यदि आयु पहले स्वीकृत नहीं की गई) दाखिल करना होगा।

उपर्युक्त दस्तावेज के अलावा, वे अपेक्षाएं भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है, जो किसी वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आदेशित हों या कानून के अनुसार वांछित हों।

5. **प्राकृतिक/अपरिहार्य आपदा:** प्राकृतिक आपदा, राजकीय कार्यवाई, हड़ताल, तालाबंदी, किसी सरकार या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी के किसी कानून अथवा प्रतिबंध अथवा निगम के पूर्वानुमान या नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के फलस्वरूप, यदि निगम का कार्य-निष्पादन या अन्य कर्तव्य बाधित होने की स्थिति में, ऐसी आपदा के जारी रहने के दौरान इस पॉलिसी का निष्पादन पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित रहेगा। इनमें से कोई भी परिवर्तन करने से पहले, आईआरडीआई को सूचना देने और उनका पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, निगम वचनबद्ध है।

2. **Suicide Exclusions:** Notwithstanding the provision of benefits payable on death mentioned anywhere in this Policy Document, the provisions related to claim payment in case of death due to suicide shall be subject to the conditions as specified herein under:

- If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy except for 80% of the total premiums paid excluding any taxes, extra premium and rider premiums other than term assurance rider, if any, provided the policy is in-force.
- If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the total premiums paid till the date of death and (excluding any taxes, extra premium and rider premiums other than term assurance rider, if any), or the surrender value available as on the date of death, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.

This clause shall not be applicable for a policy lapsed without acquiring paid up value and nothing shall be payable under such policies.

The relaxation mentioned above under Non-forfeiture provisions shall not be applicable in case of death due to suicide.

3. Tax:

Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of applicable taxes as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on premiums (for base policy & rider(s), if any) including extra premium, if any which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of any benefits payable under the plan.

4. Normal requirements for a claim:

a) **Death Claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death (if any), school/college/ employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured shall also be submitted.

Within 90 days from the date of death, intimation of death along with death certificate must be notified in writing to the office of the Corporation where the policy is serviced for any claims to be admissible. However, delay in intimation of the genuine claim by the claimant, may be condoned by the Corporation, on merit, and where delay is proved to be for the reasons beyond his/her control.

b) **Maturity/Surrender Claim:** Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

In addition to above, any requirement mandated under any statutory provision or as may be required as per law shall also be required to be submitted.

5. **Force Majeure:** In the event where the Corporation's performance or any other obligations are prevented or hindered as a consequence of any act of God or state, strike, lock out, legislation or restriction by any government or any other statutory authority or any other circumstances that lie beyond the Corporation's anticipation or control, the performance of this policy shall be wholly or partially suspended during the continuance of such force majeure. The Corporation shall resume its obligations towards the Policy as soon as the Force Majeure event ceases. The Corporation undertakes to keep the IRDAI informed and seek prior approval before effecting any of these changes.

6. **विधायी परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम एवं हितलाभ सहित, नियम एवं शर्तों संबंधित विधान एवं विनियमों के अनुसार परिवर्तनशील हैं।
7. **हितलाभ निदर्शन:** आपका निर्देश निर्मित हितलाभ निदर्शन इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न हैं।

भाग 'जी': वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 :

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज की परिशिष्ट 3 में संलग्न हैं।

शिकायत निवारण रचनातंत्र :

निगम की:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/ मण्डलीय/ क्षेत्रीय/ केन्द्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: <http://www.licindia.in>) के माध्यम से ग्राहक-अनुकूल, समाकलित शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/शिकायत का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति पर दृष्टि रख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई-मेल co_crmgrv@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावों के अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा शिकायत निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा शिकायत निवारण समिति के पास ले जाने के विकल्प हैं। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक न्यायाधीश सभी दावा परिवार निवारण समितियों का सदस्य होता है।

आईआरडीआई की:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से आईआरडीआई के शिकायत कक्ष में जा सकता है:

- टोल-फ्री (नि:शुल्क) नंबर 155255 / 18004254732 (अर्थात आईआरडीआई का शिकायत टेलीफोन केन्द्र) में फोन करके।
- complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल करके
- इंटरनेट के माध्यम से <http://www.igms.irdai.gov.in> पर शिकायत दर्ज करके
- कुरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता: उपभोक्ता मामला विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या-115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गाची बावली, हैदराबाद-500 032 (तेलंगाना)

लोकपाल की:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा लोकपाल नियमावली, 2017 के अनुसार, लोकपाल ऐसे मामलों से संबंधित शिकायत अथवा शिकायत प्राप्त कर सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि:

- क) दावों के निपटान में, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी
- ख) जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा दावों की आंशिक या पूर्ण अस्वीकृति;
- ग) बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अदा किए गए या देय प्रीमियमों पर शिकायत
- घ) पॉलिसी दस्तावेज में या पॉलिसी संविदा में किसी भी समय पॉलिसी के नियम एवं शर्तों पर अन्यथा कथन करना
- ङ) बीमा पॉलिसी की कानूनी संरचना, जबकि शिकायत दावे से संबंधित हो
- च) बीमाकर्ताओं, उनके कार्यकर्ताओं एवं मध्यस्थों के विरुद्ध पॉलिसी सेवा संबंधी शिकायत
- छ) ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य पॉलिसी सहित साधारण बीमा पॉलिसी जारी करना, जो प्रस्तावक द्वारा दाखिल प्रस्ताव-पत्र के अनुसार न हो;
- ज) जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य सहित साधारण बीमा के प्रीमियम प्राप्त करने के बाद भी पॉलिसी जारी न करना
- झ) बीमा अधिनियम, 1938 के या समय-समय पर आईआरडीआई द्वारा जारी विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों या पॉलिसी संविदा के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न कोई अन्य मामला, जहां तक कि

6. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

7. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration is enclosed to this Policy document.

PART – G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of the Insurance Act, 1938:

The provisions of the sections 45 of the Insurance Act, 1938 , as amended from time to time, shall be applicable. The current provisions are contained in Annexure-3 of this Policy Document.

Grievance Redressal Mechanism:

Of the Corporation:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is <http://www.licindia.in>, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees.

Of IRDAI:

In case the customer is not satisfied with the response or does not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irdai.gov.in
- Register the complaint online at <http://www.igms.irdai.gov.in>
- Address for sending the complaint through courier / letter: Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey No.115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad- 500032, Telangana

Of Ombudsman:

For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

The Ombudsman, as per Insurance Ombudsman Rules, 2017, can receive and consider complaints or disputes relating to the matters such as:

- a) Delay in settlement of claims, beyond the time specified in the regulations, framed under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;
- b) Any partial or total repudiation of claims by the life insurer, General insurer or the health insurer;
- c) Disputes over premium paid or payable in terms of insurance policy;
- d) Misrepresentation of policy terms and conditions at any time in the policy document or policy contract;
- e) Legal construction of insurance policies in so far as the dispute relates to claim;
- f) Policy servicing related grievances against insurers and their agents and intermediaries;
- g) Issuance of life insurance policy, general insurance policy including health insurance policy which is not in conformity with the proposal form submitted by the proposer;
- h) Non-issuance of insurance policy after receipt of premium in life insurance and general insurance including health insurance; and
- i) Any other matter resulting from the violation of provisions of the Insurance Act, 1938 or the regulations, circulars, guidelines or instructions issued by the IRDAI from time to time or the terms and conditions of the policy contract, in so

वे धारा (क) से (च) में उल्लिखित मामलों से संबंधित हों।

नोट: इस दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों की व्याख्या के विषय में कोई शिकायत होने की स्थिति में, अंग्रेजी भाषांतर विधिमाम्य होगा।

आपसे अनुरोध है कि आप इस पॉलिसी की जांच कर लें और यदि इसमें कोई गलती पाई जाए, तो इस पॉलिसी की सुधार के लिए तुरंत लौटा दें।

परिशिष्ट -1

समनुदेशन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

1. किसी पॉलिसी का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण या समनुदेशन, चाहे वह प्रतिफल के बदले में हो या बिना प्रतिफल के, पॉलिसी के ऊपर ही एक पृष्ठांकन करके अथवा अलग से एक प्रपत्र के द्वारा किया जा सकता है जिस पर दोनों ही स्थितियों में हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक या उसके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। इस पर कम से कम एक गवाह द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा और इसमें विशेष रूप से हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के तथ्य का, उसके कारणों का, समनुदेशिनी के पूर्वचरित्र का तथा समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख किया जाएगा।
2. जहां निगम के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसा हस्तांतरण या समनुदेशन प्रामाणिक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में नहीं है या बीमा पॉलिसी का सौदा करने के लिए किया गया है तो बीमाकर्ता उप धारा (1) के अंतर्गत किए गए ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन के पृष्ठांकन को स्वीकार कर सकता है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से मना कर सकता है।
3. पृष्ठांकन पर कोई कार्रवाई करने से मना करने से पहले, बीमाकर्ता ऐसी मनाही के कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा और पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन का नोटिस दिए जाने के अधिकतम 30 दिनों के अंदर पॉलिसीधारक को उन कारणों की सूचना देगा।
4. बीमाकर्ता द्वारा ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन पर कार्रवाई न करने के निर्णय से यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो ऐसी मनाही के कारणों वाली सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर वह व्यक्ति प्राधिकारी के सामने दावा कर सकता है।
5. उप धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे पृष्ठांकन के निष्पादन पर या प्रपत्र के विधिवत् साक्ष्यांकित हो जाने पर, हस्तांतरण या समनुदेशन पूर्ण तथा क्रियाशील हो जाएगा। किन्तु यदि ऐसा हस्तांतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है तो वह किसी बीमाकर्ता के विरुद्ध कार्यकारी नहीं होगा और इससे हस्तांतरि या समनुदेशिनी को या उसके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी की राशि पर या पॉलिसी में प्रतिभूत राशि पर वाद चलाने का कोई अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक हस्तांतरण या समनुदेशन की लिखित सूचना और उक्त पृष्ठांकन या वह प्रपत्र या हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरि द्वारा अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति बीमाकर्ता को दे।
बशर्ते कि यदि भारत में एक से अधिक स्थानों पर अपना व्यवसाय चलाता है तो ऐसा नोटिस केवल उसी स्थान पर दिया जाएगा, जहां पर उस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं।
6. जिस तारीख पर उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस बीमाकर्ता को दिया जाता है, वह तारीख पॉलिसी में हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच, हस्तांतरण या समनुदेशन के सभी दावों की प्राथमिकता को विनियमित करेगी। और यदि कहीं पर एक से अधिक हस्तांतरण या समनुदेशन के प्रपत्र हैं तो ऐसे प्रपत्रों के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उसी क्रम से संचालित होगी, जिस क्रम में उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस दिए गए हैं।
यदि समनुदेशितियों के बीच भुगतान की प्राथमिकता को लेकर कोई मतभेद होता है तो उस विवाद को प्राधिकारी के पास भेज दिया जाएगा।
7. उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन का, उसकी तारीख और हस्तांतरि या समनुदेशिनी के नाम के तथ्यों को दर्ज करेगा और ऐसा नोटिस देने वाले व्यक्ति या हस्तांतरि या समनुदेशिनी के अनुरोध पर और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अदा करने पर, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की लिखित पावती देगा और ऐसी पावती बीमाकर्ता के प्रति इस बात का पक्का सबूत होगी कि उसे वह नोटिस विधिवत प्राप्त हो गया है जिससे वह पावती संबंधित है।
8. हस्तांतरण या समनुदेशन के नियम एवं शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, उस नोटिस में नामित हस्तांतरि या समनुदेशिनी को पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों का पूर्ण हस्तांतरि या समनुदेशिनी अधिकारी की मान्यता देगा और उस व्यक्ति पर वे समस्त देयताओं और निवल राशियां लागू होंगी जो हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक पर, हस्तांतरण या समनुदेशन की तारीख पर लागू होती थीं और वह हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति लिए बिना या ऐसी कार्रवाई में उसे पक्षकार बनाए

far as they relate to issues mentioned at clauses (a) to (f)

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions mentioned in this document the English version shall stand valid.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

Annexure-1

Assignment – As per section 38 of the Insurance Act, 1938,

- 1 A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
- 2 An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
- 3 The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policyholder giving notice of such transfer or assignment.
- 4 Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
- 5 Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:
Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.
- 6 The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:
Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.
- 7 Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgment of the receipt of such notice; and any such acknowledgment shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.
- 8 Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee or entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or

बिना, पॉलिसी के संबंध में कोई भी कार्यवाई प्रारंभ कर सकता है, पॉलिसी के अंतर्गत ऋण ले सकता है या पॉलिसी का अभ्यर्पण कर सकता है।

व्याख्या: यदि उप धारा (1) में उल्लिखित पृष्ठांकन में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया होगा कि समनुदेशन या हस्तांतरण यहां नीचे दी गई उप धारा (10) के अनुसार सशर्त है, तो प्रत्येक हस्तांतरण या समनुदेशन को पूर्ण समनुदेशन या हस्तांतरण माना जाएगा और समनुदेशिनी या हस्तांतरिनी को, यथास्थिति, क्रमशः पूर्ण समनुदेशिनी या हस्तांतरिनी माना जाएगा।

9. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व, किसी समनुदेशन अथवा हस्तांतरण के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी के किसी समनुदेशिनी या हस्तांतरिनी के प्रभावी अधिकारों और प्रतिकारों पर, इस धारा के प्रावधानों का कोई प्रतिभूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
10. किसी कानून के या कानून की शक्ति रखने वाली प्रथा के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस शर्त पर किया जाता है कि:
 - क. समनुदेशिनी या हस्तांतरिनी की मृत्यु बीमाधारक से पहले होने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्तियां पॉलिसीधारक को या नामिती व्यक्ति/व्यक्तियों को देय हो जाएंगी; अथवा
 - ख. बीमाधारक के पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर, वह वैध होगा।बशर्ते कि कोई सशर्त समनुदेशिनी पॉलिसी पर कोई ऋण लेने का या पॉलिसी को अभ्यर्पित करने का अधिकारी नहीं होगा।
11. उप धारा (1) के अंतर्गत किसी पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण के मामले में, बीमाकर्ता की देयता, आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण द्वारा प्रत्याभूत राशि तक सीमित होगी और ऐसे पॉलिसीधारक को, उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि को आगे समनुदेशित या अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

परिशिष्ट - 2

नामांकन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

1. अपने ही जीवन पर जीवन बीमा पॉलिसी रखने वाला पॉलिसीधारक, पॉलिसी लेते समय अथवा पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने के पूर्व किसी भी समय ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है जिनको, पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि नामिती नाबालिग है तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनसम्मत होगा कि वह बीमाकर्ता द्वारा बनाए गए तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो नामिती की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि प्राप्त कर सके।
2. यदि नामांकन पॉलिसी के मूल पाठ में ही समाविष्ट नहीं है तो ऐसे किसी भी नामांकन को क्रियाशील बनाने के लिए, पॉलिसी पर ऐसा पृष्ठांकन करके, बीमाधारक को उसकी सूचना देकर तथा पॉलिसी से संबंधित अभिलेखों में उसे पंजीकृत कराना होगा और पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने से पूर्व ऐसे नामांकन को एक पृष्ठांकन के द्वारा या वसीयत के द्वारा किसी भी समय निरस्त या परिवर्तित कराया जा सकता है। किन्तु जब तक ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दे दी जाती, तब तक बीमाकर्ता पॉलिसी के मूल पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के अभिलेखों में पंजीकृत और बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक बनाए गए नामिती को किए गए किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को, नामांकन के पंजीकरण की या उसके निरस्तीकरण की या उसमें परिवर्तन की लिखित पावती देगा और ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क ले सकेगा।
4. धारा 38 के अनुसार किए गए पॉलिसी के हस्तांतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

यदि पॉलिसी का समनुदेशन किसी ऐसे बीमाकर्ता को किया जाता है, जो पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के अंदर अथवा ऋण की अदायगी पर पुनः समनुदेशन की स्थिति में पॉलिसी की प्रतिभूति पर दिए गए ऋण के बदले, समनुदेशन के समय पॉलिसी के जोखिम का वहन करता है तो उससे नामांकन निरस्त नहीं होगा, किन्तु उससे नामिती के अधिकारों पर, पॉलिसी में बीमाकर्ता के हितों की सीमा तक ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

यह भी शर्त है कि यदि हस्तांतरिनी या समनुदेशिनी द्वारा पॉलिसीधारक को दिए गए ऋण के बदले पॉलिसी के पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण या समनुदेशन से नामांकन निरस्त नहीं होगा बल्कि नामिती के हितों पर उसी सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जहां तक यथास्थिति, हस्तांतरिनी या समनुदेशिनी का हित उस पॉलिसी में है।

और यह भी शर्त है कि हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के फलस्वरूप जो नामांकन स्वतः निरस्त हो गया है तो समनुदेशिनी द्वारा पुनः समनुदेशन करने पर या पॉलिसी की प्रतिभूति के अलावा, लिए गए ऋण की अदायगी कर दिए जाने पर, पॉलिसीधारक के पक्ष में हस्तांतरिनी द्वारा पुनः हस्तांतरण किए जाने

making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

- 9 Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.
- 10 Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that -
 - a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or
 - b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid:Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.
- 11 In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurers shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure – 2

Nomination - As per section 39 of the Insurance Act, 1938

- 1 The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.
- 2 Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bonafide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.
- 3 The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgment of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.
- 4 A transfer or assignment of a policy made in accordance with Section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the

पर, वह नामांकन स्वतः ही पुनः सक्रिय हो जाएगा।

5. जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है, यदि उसके जीवनकाल में पॉलिसी भुगतान के लिए परिपक्व हो जाती है अथवा नामिती (एक से अधिक नामिती होने की स्थिति में सारे नामिती) की मृत्यु पॉलिसी भुगतान के लिए परिपक्व होने से पूर्व होने पर पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि का भुगतान, यथास्थिति, पॉलिसीधारक को या उसके वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों को या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारक को देय होगा।
6. नामिती व्यक्ति या एक से अधिक नामिती होने की स्थिति में, नामित व्यक्तियों के बीमित व्यक्ति से अधिक जीवित रहने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि ऐसे जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होगी।
7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, यदि कोई अपने ही जीवन पर या पॉलिसी लेने वाला पॉलिसीधारक अपने माता-पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति-पत्नी और बच्चों को या इसमें से किसी को नामित करता है तो नामिती उप धारा (6) के अंतर्गत बीमाधारक द्वारा उसको या उनको देय राशि के लिए हितलाभी अधिकारी होंगे, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि पॉलिसी में अपने अधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसीधारक नामित व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था।
8. उपर्युक्त उल्लेख के अधीन ही, जिस नामिती (एक से अधिक नामिती होने पर नामितियों) पर उप धारा (7) लागू होती है, उसकी/उनकी मृत्यु बीमित व्यक्ति के बाद, किन्तु पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि के भुगतान से पूर्व होने की स्थिति में, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि या इस प्रकार मरने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों (यथास्थिति) के हिस्से की पॉलिसी द्वारा प्रत्याभूत राशि का भाग, नामिती के वारिसों को या कानूनी प्रतिनिधियों को या यथास्थिति उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारक को देय होगा और वे उस राशि के हितलाभी अधिकारी होंगे।
9. जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्ति में से लेनदारों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए या उनमें बाधा के लिए उप धारा (7) और (8) में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
10. उप धारा (7) और (8) के प्रावधान जीवन बीमा की उन सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होंगी।
11. यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी की परिपक्वता के बाद होती है, किन्तु उसकी मृत्यु के कारण उसकी पॉलिसी के हितलाभों का भुगतान उसे नहीं किया जा सका है तो उसके नामिती उसकी पॉलिसी की प्राप्ति और हितलाभों के हकदार होंगे।
12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की किसी भी ऐसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती है या किसी समय लागू रही है।

बशर्ते कि यदि अपने जीवन का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का या इनमें से किसी का भी बीमा कराने वाले व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व या बाद में किया गया नामांकन इस धारा के अंतर्गत किए गए नामांकन के रूप में अभिव्यक्त है (चाहे वह पॉलिसी के फलक पर हो या नहीं) तो माना जाएगा कि उक्त धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं होती और न ही उसे पॉलिसी पर लागू किया गया है।

परिशिष्ट -3

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार धारा 45

1. पॉलिसी की तारीख अर्थात् पॉलिसी जारी करने की तारीख अथवा जोखिम प्रारंभ होने की तारीख अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख अथवा पॉलिसी में अनुवृद्धि की तारीख (इनमें जो भी बाद में हो) के बाद तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा।
2. पॉलिसी जारी करने की तारीख अथवा जोखिम प्रारंभ होने की तारीख अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख अथवा पॉलिसी में अनुवृद्धि की तारीख (इनमें से जो भी बाद में हो) से तीन वर्षों के अंदर जीवन बीमा पॉलिसी पर कपट के आधार पर प्रश्न किया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को उन सभी आधारों और सामग्री की लिखित सूचना बीमाधारक को, या कानूनी प्रतिनिधियों को, नामितियों या समनुदेशितियों को देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

व्याख्या - I : इस उप धारा के उद्देश्य के लिए "कपट" का अर्थ बीमाधारक या उसके अधिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी ऐसा निम्नलिखित कार्य होगा जो बीमाकर्ता को ठगने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने के लिए किया गया हो :-

क) ऐसे तथ्य का सुझाव जो सत्य न हो और जिसके सत्य होने पर बीमाधारक को विश्वास न हो;

ख) किसी विश्वास या तथ्य का ज्ञान होने पर भी बीमाधारक द्वारा किसी

transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

- 5 Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.
- 6 Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- 7 Subject to the other provisions of this Section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
- 8 Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
- 9 Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
- 10 The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- 11 Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.
- 12 The provisions of this Section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied:

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure-3

Section- 45 as per Insurance Act, 1938

- 1 No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- 2 A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I - For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

- a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
- b) the active concealment of a fact by the insured having

तथ्य को सक्रियता से छुपाना;

ग) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;

घ) अन्य कोई ऐसी त्रुटि, जिसे कानून विशेष रूप से कपटकारी घोषित करता हो।

व्याख्या - II : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों पर मात्र चुप रहना कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर विचार किया जाए तो चुप रहना बीमाधारक का या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य है या जब तक कि उसका चुप रहना स्वयं में ही बोलने के समान न हो।

3. उप धारा (2) में चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि बीमाधारक यह सिद्ध कर सकता है कि उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार मिथ्या कथन या महत्वपूर्ण तथ्य का छुपाया जाना सही था अथवा तथ्य को जानबूझकर इच्छापूर्वक नहीं छुपाया गया था अथवा महत्वपूर्ण तथ्य का ऐसा मिथ्या कथन या छुपाव बीमाकर्ता की जानकारी में है, तो कोई बीमाकर्ता कपट के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी पर किए गए दावे को खारिज नहीं करेगा।

बशर्ते कि कपट की स्थिति में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी लाभार्थियों पर होगी।

व्याख्या : जो व्यक्ति बीमा करार का आग्रह एवं मोल-तोल करता है, उसे करार को बनाने के उद्देश्य के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा।

4. पॉलिसी जारी होने की तारीख से या जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी में अनुबद्धि जोड़ने की तारीख से (इनमें जो भी बाद में हो) तीन वर्ष के अंदर बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर प्रश्न किया जा सकता है कि प्रस्ताव पत्र में या अन्य किसी दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या अनुबद्धि जारी की गई थी, बीमित व्यक्ति का प्रत्याशित आयु से संबंधित कोई कथन अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से छुपाया गया था।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और सामग्री की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर जीवन बीमा पॉलिसी को रद्द करने का निर्णय आधारित है।

यह भी शर्त है कि यदि पॉलिसी को मिथ्या कथन या महत्वपूर्ण तथ्य के छुपाने के आधार पर (और कपट के आधार पर नहीं) रद्द किया जाता है तो पॉलिसी पर रद्द करने की तारीख तक संग्रह की गई प्रीमियम, ऐसे रद्दीकरण की तारीख से 90 दिनों की अवधि में बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों को या नामितियों को या समनुदेशितियों को अदा कर दी जाएगी।

व्याख्या : इस उप धारा के उद्देश्य के लिए, मिथ्या कथन को या तथ्य छुपाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए जोखिम पर उसका सीधा प्रभाव न हो। यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की होगी कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो बीमाधारक को जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

5. यदि बीमाकर्ता ऐसा करने के अधिकारी हैं तो इस धारा का कोई प्रावधान बीमाधारक के किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से बीमाकर्ता को रोक नहीं सकता और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए प्रश्नचिन्हित नहीं माना जाएगा कि बीमाधारक की आयु प्रस्ताव पत्र में गलत बताने का प्रमाण बाद में मिलने पर, पॉलिसी की शर्तों में समायोजन किया गया है।

knowledge or belief of the fact;

c) any other act fitted to deceive; and

d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II - Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

3. Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation - A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

4. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

5. Nothing in this Section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

परिशिष्ट-4 / Annexure - 4

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य घटक
Guaranteed Surrender Value factors applicable to
total premiums paid

पॉलिसी वर्ष Policy Year	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)/Policy Term (Premium Paying Term)→		
	16 (10)	21(15)	25 (16)
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%
8	53.75%	52.30%	51.80%
9	57.50%	54.60%	53.50%
10	61.25%	56.90%	55.30%
11	65.00%	59.20%	57.10%
12	68.75%	61.50%	58.80%
13	72.50%	63.80%	60.60%
14	76.25%	66.20%	62.40%
15	90.00%	68.50%	64.10%
16	90.00%	70.80%	65.90%
17		73.10%	67.60%
18		75.40%	69.40%
19		77.70%	71.20%
20		90.00%	72.90%
21		90.00%	74.70%
22			76.50%
23			78.20%
24			90.00%
25			90.00%

परिशिष्ट-5 / Annexure - 5

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक निहित बोनस के लिए लागू
Guaranteed Surrender Value factors applicable to
vested bonus

पॉलिसी वर्ष Policy Year	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)/Policy Term (Premium Paying Term)→		
	16 (10)	21(15)	25 (16)
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%
3	17.58%	15.93%	15.28%
4	17.66%	16.22%	15.42%
5	17.85%	16.58%	15.55%
6	18.16%	17.03%	15.72%
7	18.60%	17.58%	15.93%
8	19.18%	17.58%	16.22%
9	19.93%	17.66%	16.58%
10	20.85%	17.85%	17.03%
11	21.99%	18.16%	17.58%
12	23.38%	18.60%	17.58%
13	25.05%	19.18%	17.66%
14	27.06%	19.93%	17.85%
15	30.00%	20.85%	18.16%
16	35.00%	21.99%	18.60%
17		23.38%	19.18%
18		25.05%	19.93%
19		27.06%	20.85%
20		30.00%	21.99%
21		35.00%	23.38%
22			25.05%
23			27.06%
24			30.00%
25			35.00%